टीम कोड : AHM-003

प्रथम एमिटी राष्ट्रीय हिन्दी मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2016

सम्मानित नॉइदा सत्र अदालत में

मूल न्यायाधिकार | दर्ख़ास्त क्र. ____/2016

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 177 के अंतर्गत

सी बी आई…………………………………………..………….......... अभियोजनकर्ता

बनाम

हीरा ………………………………………………………………. अभियुक्त 1

ललिता शास्त्री ………………………………………...……………….अभियुक्त 2

जयन्त अरोडा…………………………………………………........ अभियुक्त 3

भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा 120-B, 107, 201, 302 के मामले मे

सम्मानित नॉइदा सत्र अदालत ***के माननीय सत्र न्यायाधीश के समक्ष***

प्रतिवादी की तरफ़ से मेमोरियल

विषय सूचि

विषय सूचि……………………………………………………..………………………i

संक्षिप्त शब्दों की सूचि ……………………………………………….……..……….iii

प्राधिकारी की सूचि …………………………………………………………….……...iv

क्षेत्राधिकार का कथन …………………………………………….........…………….vi

तथ्य विलेख ………………………………………………………..........…..……………..vii

मुद्दा ………………………………………………………………….............…………..viii

तर्कों का सार ………………………………………………….....................……….…..ix

लिखित तर्क ………………………………………………….........................…….…..1

मुद्दा 1: *क्या अभियुक्त द्वारा दिये गये सबूत मौजूदा मामले में उपयोग में लाए जा सकते हैं*……………………………………………………01

उपमुद्दा1: मजिस्ट्रेट की गैर उपस्थिति के कारणवश अभियुक्त द्वारा दिये गये बयान को नजरअंदाज किया जाय…………………………………………………………………….01

उपमुद्दा 2:– सिर्फ उतनी ही जानकारी जो विशिष्ट रूप से उसके कारण खोजी गई सच्चाई से सम्बन्ध रखती है, पुलिस जांच द्वारा प्रमाणित की जा सकती है....................02.

उपमुद्दा 3:- सह अभियुक्त द्वारा दिये गये ब्यान को अभियुक्त के विरुद्ध सबूत के रूप में प्रयोग में नही लाया जा सकता………………………………………………………….06

मुद्दा 2 :- क्या हीरा, ललिता और उनके साथी के खिलाफ हत्या, हत्या के लिए उकसाने, आपराधिक साजिश और अन्य अपराध का आरोप लगाया जा सकताहै ?...07

उपमुद्दा 1: अज्ञात शव और परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कर्मी के कारण हीरा के द्वारा दिया गया साक्ष्य अमान्य है…………………………………………………………………….08

उपमुद्दा 2: इस मामले में अभिप्राय एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा क्योंकि अभियोग पूर्णतः परिस्थितिक–जन्य साक्ष्य पर आधारित है……………………………………………09

मुद्दा–3 – क्या हीरा, ललिता और जयंत पर आपराधिक षड्यंत्र तथा सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया जा सकता है…………………………….………11

उपमुद्दा 1. मौजूदा मामले में आपराधिक षड्यंत्र नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर विशेष उद्देश्य सिद्ध नहीं किया जा सकता है…………………………………………………….12

उपमुद्दा2. सबूतों को गायब करने का अपराध तब तक सीध नही हो सकता जब तक तक यह ना सिद्ध हो जाए कि हत्या अभियुक्त ने ही की है…………..…………………12

प्रार्थना……..……..14

संक्षिप्त शब्दों की सूचि

- ब. – बनाम

- इला. – इलाहाबाद
- ए आइ आर- ऑल इंडिया रिपोर्टर
- एल जे - लॉ जर्नल
- एन ओ सी - नोट्स ओफ़ केसिस
- एस सी - सुप्रीम कोर्ट
- क्रि एल जे - क्रिमिनल लॉ जर्नल
- एस सी सी - सुप्रीम कोर्ट केसिस
- एन सी टी ओफ़ दिल्ली - नेशनल टेरिटरी ओफ़ दिल्ली
- कट – कटक
- आर एल डब्ल्यु – राजस्थान लॉ वीकली
- आल - इलाहाबाद
- ऑल ई आर - ऑल इंग्लेन्ड रिपोर्टर
- सी बी आई - सेंट्रल ब्युरो ओफ़ इन्वेस्टिगेशन
- सुप्प – सुप्रा
- आई ए - इन्टरलोक्युटरी एप्लिकेशन
- एम्प. – एम्परर
- कल. – कलकत्ता
- ला. – लाहौर
- यू.एस. - युनाइटेड स्टेट्स
- क्यू. बी - क्विन्स बेंच
- कोक्स सी. सी. – कोक्स क्रिमिनल केसिस
- मद्रा. – मद्रास
- पी. सी. - प्रिवि काउन्सिल
- यू.पी - उत्तर प्रदेश
- डी.एल.आर. - दिल्ली लॉ रिपोर्ट
- नाग. – नागपुर
- एस.सी.आर. - सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर

प्राधिकारी की सूचि

मामलें

- एमपेरर ब. कगााल माली (1905) पा कल 601 1
- *एमपेरर ब. शिवदास ओकार , (1912) 15 बाम्बे एल आर 315*.....8
- *एमपेरर ब. सालवे, (1933) 36 बाम्बे एल आर 384* 4
- एमनपेरर ब. प्रभू (1941) इला 243 पूर्ण न्यायपीठ.....1
- *एनगोसिया ब. बिहार स्टेट, ए आई आर 1966 एस.सीत्र 119*.....2
- एआरा भाद्र्पा बनाम स्टेट ओफ कर्नाटका (1983) 2 एस. सी. सी. 330.....12
- *घाजी गोडाडजी ठैकोर व स्टेट ऑफ गुजरात, 1993 कि एल जे 730 (गुज)*.....3
- *खी बेलदार बनाम के. ई. आई. एल. आर (1928) पट. 411* 1
- *(ए. नगोसिथा ब. बिार स्टेट ए आईआार 1966 एस.सी. 119, मथुरा ब. गि एम्पेरर, 1945) 24 पटना* 3
- *(एमपेरर ब. ग्यानू चन्द्र, (1931) 34 बाम्बे एल.आर 303*.....4
- *इब्राहिम बनाम एम्परर (1914) ए.सी. 599*.....1
- इराडु बनाम स्टेट ओफ हैदराबाद ए.आई.आर. 1956 एस. सी. (316).....12
- *बाबर अली मोलाह बनाम राज्य, जो 44 डीएलआर (एडी) 10* 7
- *बाबर अली मोल्लाह बनाम द स्टेट, 44 डी.एल.आर. (ए.डी.)*.....7
- बलविन्दर सिन्ह बनाम स्टेट ओफ पंजाब (1987) 1 एस. सी. सी. 16.....12
- *कवीन एम्प्रेस ब. बाबूलाल, (1884) 6 इला. 509, पूर्ण न्यायपीठ*.....3
- *मायाचर शा ब. स्टेट, 1987 कि एल.जे. 1948 उडीसा*.....4
- *मोहम्मद इनायात उल्लाह व. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र,ए आई आर 1976 एस.सी. पठउ,*.....4
- *मोतीलाल, (1959) पटना 1511* 3
- *मुसम्मात जमुनियया ब. किंग– एमरेर (1936) नागपुर 781*.....3
- *बिकौ पाणडेव और अन्या बनाम स्टेट आफ बिहार (2003) 12 एस सी सी 696* 10
- *बिजेन्द्र सिन्ह बनाम स्टेट ओफ यू.पी. 2002 क्रि. एल.जे. 3671*.....6
- *बिनायेन्द्र चन्द्र पांडे व एमपेरर (1936) 63 कल 929*.....8
- *मिलर बनाम विलसन 236 यू.एस. 373*.....1
- शिऊु और अन्या बनाम रिजिस्ट्रार जनरल, हाइ कोर्ट अ०फ कर्नाटका और अन्या ;2007 (4) *एस.सी.सी.* 713 12
- *चिन्ना–स्वामी) व स्टेट ऑफ ए.पी,ए आई आर 1962 एस सी 1788*.....4
- *निहारू ब. एमपरेर (1937) नागपुर 268*.....3
- हुकम सिंह बनाम स्टेट ओफ राजस्थान (1977) 2 एस.सी.सी. 99.....12
- *भरोसा रामदयाल बनाम एम्प. ए.आई.आर. 1941 नाग. 86*.....1
- *भुबोनी सेफर बनाम द किंग, आई. एल.आर. 76 इंडियन अपील्स 147*.....7
- भुपेंद्र सिंह बनाम स्टेट ओफ यू.पी. ए.आई.आर. 1991 एस. सी. 1083 14
- भगत राम बनाम स्टेट अ०फ पंजाब *ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 621*.....12
- *पकाला नारयण स्वागी ब. एमपेरर (1939) 66 आई ए 66*.....3

- *पाडाला वीरा रेडी बनाम स्टेट अ०फ आंध्रा प्रदेश और अन्या 1989 सुप्प (2) एस. सी.सी. 706* 9
- पलविन्दर कौर (1953) एस.सी.आर. 94 14
- प्रीतम सिंह ब. त्रिलोक सिंह (1953) 2 पटियाला 187 1
- राम सरन मैथौ बनाम स्टेट ओफ बिहार 1999 क्रि. एल.जे. 4311 14
- *रेक्स बनाम फरेन्सिस जोन्स, रेक्स बनाम डेविड जेन्किस 168 ई.आर. 914*.....1
- *रेक्स बनाम बूथ एन्ड जोन्स (1910) क्र. एप्प. रेप. 177*.....1
- *रेक्स बनाम रिचर्ड ग्रिफिन (1809) 168 ई.आर. 732*.....1
- *रेक्स बनाम वेरिक्शेल (1783) 1 लीच सी.सी. 263* 1
- *रेग. बनाम बेल्डीं (1852) 5 कोक्स सी. सी. 523*.....1
- *रेग बनाम थाम्पसन (1893) 2 क्यू. बी.* 1
- *रेग बनाम नाइट एन्ड थेयर (1905) 20 कोक्स सी. सी. 711* 1
- *संजय/ काका बनाम स्टेट (एन.सी.टी. ओफ दिल्ली) (7.02.2001–एस. सी.)*.....6
- *सी. चेंगा रेड्डी और अन्या बनाम स्टेट अफ आंध्रा प्रदेश और अन्या;1996) 10 एस .सी.सी. 193*.....8
- *सोपान पुंजाराम मुले बनाम स्टेट ओफ महाराष्ट्र, 2002 क्रि. एल.जे. 376 (बोम्बे)*.....15
- *सुर्यभान बनाम स्टेट, 2004 क्रि. एल.जे. (एन.ओ.सी.) 289 (राज),* 3
- *सुखराम बनाम स्टट ओफ महाराष्ट्र (2007) 7 एस.सी.सी. 502* 15
- *सुखन ब.द. क्राउन, (1929) 1 लाहौर 283* 5
- *सुरिंदर पल जैन बनाम देल्ही आड्मिनिस्ट्रेशन और तरसीं बनाम देल्ही आड्मिनिस्ट्रेशन*.....11
- *सुपरिटडैंट एण्ड रिमेम्ब्रैसर ऑफ लीगल अफेयर्स, बंगाल ब. भाजू मंझी (1929) 57 कल 1062*.....3
- *सुरेन्द्र प्रसाद ब0 स्टेट ऑफ बिहार 1992 किल जे 2190 (पटना)*.....7
- *स्टेट (एन.सी.टी ओफ दिल्ली) बनाम नवजोत सन्धु एलिअस अफसन गुरु, 2005 क्रि. एल.जे. 3950 (एस. सी.)*.....3, 5
- *स्टेट (एन.सी.टी. ओफ दिल्ली) बनाम नवजोत सन्धु अफसन गुरु (4.08. 2005–एस.सी.)*.....6
- *स्टेट ब. राम शिदप्पा 1951) 54 बम्बे एल. आर 316* 3
- *स्टेट ब. रगाराव डेनयानू (1951) 53 बाम्बे एल आर 834*.....3
- स्टेट ओफ यू.पी. बनाम कपिल देव ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 2257.....14
- स्टेट ओफ यू.पी. बनाम सुखबसी (सुप्प.) एस.सी.सी. 79 12
- *स्टेट ऑफ यू.पी. बी. देवमन, ए आई आर 1960 एस.सी. 1125*.....4
- *सलीम अख्तर मोटा बनाम स्टेट ओफ यू.पी. (9.04.2003–एस.सी.),* 6
- *उजागर सिंग बनाम स्टेट अफ पुंजब, (2007) 93 एस सी सी 73*.....10
- *दुर्ली नमसुद्रा बनाम एम्प. आई. एल. आर. (59) कल. 1040* 1
- *दुर्लवव नामासूद्र ब. एमपरेर, (1931) 59 कल 1040*.....3
- *वीदे हरी शंकर बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश, (1996) 9 एस सी सी 50य*.....10
- *वीवर बनाम पाल्मर ब्रोस. कम्प 270 यू.एस. 402* 1
- *वेस्ट कोस्ट होटल कम्प. बनाम पेरिश 300 यू.एस. 379*.....1
- *चन्द्राप्पा बनाम स्टेट, 2010 क्रि. एल.जे. 4324 (मद्रा.)*.....3

- *जनमदास (1963) 1 क्रि. एल.जे. 433*.....15
- *जल्ला बनाम एम्प. ए.आई.आर. (1931) ला. 278*.....1
- *नरेश चन्द्र दास ब. एमपेरर, (1942) 1 कल. 436*.....3
- *नारायणा (1953) हैदराबाद 321*.....2
- *अब्दुर कादिर (1880) 3 इला. 279 (एफ. बी.)*.....15
- *अब्दुल बाशा साहेब, (1940) मद्रास 1028*.....5
- *अबू ठाकुर और नया बनाम स्टेट आफ तमिल नाडु, (2010) ५ एस सी सी 19*.....10
- *अमीरुदीन अहमद ब. एमपेरर(1917) 45 कल 557*.....3
- *आफ्ताब अहमद खान बनाम द स्टेट ओफ हैदराबाद (6.05.1954–एस.सी.)*.....6
- अशोक कुमार चौटर्जी बनाम स्टेट ओफ म.प्र. 1989 सुप्प. (1) एस.सी.सी. 560.....12
- *टोमासो ब्रुनो बनाम स्टेट ओफ यू.पी. (2015) 7 एस.सी.सी. 178*.....10
- *आलोक नाथ दत्ता एन्ड अदर्स बनाम स्टेट ओफ वेस्ट बंगाल (12.12.2006–एस. सी.)*.....6
- *अर्जुन बिसवास बनाम स्टेट 2005 क्रि. एल.जे. 554 (गुवा.),*.....3, 5
- *ग्यानूच्नद्र ब. एमपेरर, (1931) 56 बाम्बे 172*.....3
- *गम्भीर बनाम स्टेट ओफ महाराष्ट्र (1982) 2 एस.सी.सी. 351*.....9
- *लीगल रेमेमब्रेन्स बनाम ललित मोहन सिंह आइ. एल. आर (49) कल. 167*...1
- *लुफ्फुन नाहार बनाम द स्टेट, 27 डी.एल.आर. 29*.....7
- *पकाला नारायन स्वामी बनाम एम्परर एल. आर. 66 आइ. ए. 66*.....1
- *टोमासो ब्रुनो बनाम स्टेट ओफ़ यू.पी. (2015) 7 एस.सी.सी. 178*.....12
- *तोपनदास बनाम स्टेट ओफ़ बोम्बे (1955) 2 एस.सी.आर. 881*.....13
- *प्रतापभाई सोलंकी बनाम स्टेट ओफ़ गुजरात एन्ड अनद. (2013) 1 एस.सी.सी. 613*.....13
- *मुहम्मद इस्माइल (1936) नाग. 152*.....13
- *राम नारायन पोपली बनाम सी.बी.आई. (2003) 3 एस.सी.सी. 641*.....13
- *स्टेट थ्रु सुप्रिटेंडेंट ओफ़ पुलिस, सी.बी.आई./एस.आई.टी. बनाम नलिनी एन्ड अदर्स (1999) 5 एस .सी.सी. 253*.....13
- *हरधन चक्रवर्ती बनाम यूनियन ओफ़ इंडिया (1990) 2 एस.सी.सी. 143*.....13

पुस्तकें

- जनरल प्रिन्सिपल अ०फ क्रिमिनल ल०य के. एन चन्द्रशेखरन 1 एडिशन, 2003
- आउटलाइन अ०फ क्रिमिनल ल०य जे डब्ल्यू सेसिल टर्नर 19त एडिशन, 1996
- थे कोड अ०फ क्रिमिनल प्रोसीजरय एन वी परांजपे ३र्ड एडिशन 2009
- चार्जस आंड डिसचार्जस (हाउ तो फ्रेम) इन क्रिमिनल ल०, एस सी स्रिवास्तव 1992 एडिशन
- क्रिमिनल अल्व 1, ड०कटर एस आर 1 एडिशन, 2011
- क्रिमिनल अल्व, र०बिनसन, (प०ल), 1997
- प्रॅक्टिकल गाइड तो एविडेन्स, क्रिस्टोफेर आलेन, सेकेंड एडिशन 2001
- आ ट्रीटिस ओं ल० अ०फ एविडेन्स, मोहोमेद आसिफ, एडिशन 2005
- कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, एस आर मिश्रा, 11 एडिशन 2004
- क्रिमिनल ल० फ०र पोलीस अ०फीसर , नील सी चमेलिन, 7 एडिशन, 2000

- इंडियन पोलीस आंड ईक्वल जस्टीस अंडर ल०, जेम्ज वँदाएकुंचेरी, एडिशन 1999
- पोलीस इंटरओगेशन, जेम्ज वनदाक्कुंचेरी, 1998
- इंडियन पीनल कोड, बकूट लाल, 1 एडिशन, 2008
- ला आफ क्रिमिनल ट्राइयल आंड पोलीस इन्वेस्टिगेशन, जस्टीस पी एस गुप्ता, 1 एडिशन, 2004

विधि

- भारतीय साक्ष्य संहिता 1872
- भारतीय दंड संहिता 1860
- दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973

ओनलाइन डाटाबेस

- मनुपात्रा
- सुप्रीम कोर्ट केसस
- वेस्तलाव
- हाइन अ०नलाइन

क्षेत्राधिकार का कथन

सम्मानित नोएडा सत्र अदालत के पास कथित मामले में मूल न्यायाधिकार है।

''प्रत्येक अपराध की जाँच और विचारण मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिस की स्थानीय अधिकारिता के अन्दर वह अपराध किया गया है[1]''

[1] धारा 177, दण्ड प्रक्रिया संहिता) 1973 ,भारत(

तथ्य विलेख

- 21 अगस्त को अवैध रूप से पिस्टल रखने के मामले में नाइदा पुलिस 43 वर्षिय हीरा को गिरफ्तार करती है। पूछताछ के दौरान हीरा 2012 में किए गये एक मर्डर सहित अन्य पिछले जुर्मो का खुलासा पुलिस के सामने किसी मॅजिस्ट्रेट की गैर मौजूदगी में करता है।
- हीरा खुलासा करता है की मर्डर के बाद उसने लाश को हीरागढ़ के जुंगलो मे जलाया और दफना दिया। पलिस जब हीरगढ़ पुलिस से संपर्क करती है तो पता चलता है की 2012 मे सचमुच एक औरत की अधजली लाश के हिस्से बरामद हुए थे व शिनाख्त न होने पर हीरागढ़ पुलिस ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया
- सख्ती से पूछताछ करने पर हीरा खुलासा करता है की ललिता जिसका वह पहले ड्राइवर था, के कहने पर उसने अपने साथी के साथ मिलकर मोनिका नामक महिला की गला दबाकर हत्या की और फिर हीरागढ़ के जंगल मे पेट्रोल डालकर लाश जलाने के बाद बाकी हिस्सा दफना दिया।
- शुरुआती सबूत के आधार पर जब ललिता को गिरफ्तार किया गया तो उसने हीरा पर मोनिका के उपर बुरी नजर रखने का इल्जाम लगाया एवम इसी रवैया को हीरा को नौकरी से निकालने की वजह बताई।
- हिरासत मे ललिता ने कबूल किया की हत्या उसी के कहने पे हुई है। इसके उपरांत ललिता के पूर्व पति जयंत अरोरा को भी कोलकाता से हिरासत मे ले लिया गया पुलिस सूत्रो के अनुसार मोनका की अपने सौतेले भाई राहुल से रिश्ते और कुछ प्रापर्टी और पैसो को लेकर ललिता से अनबन थी, जो उसके कत्ल की वजह बनी।
- न्यायियक हिरासत मे ललिता ने मॅजिस्ट्रेट को स्टेट्मेंट मे बताया की रमाकांत सास्त्री से शादी होने के पश्चात वह अपने पति की ष्दबंगष्चॅनेल की कंपनी मे दृष्टि मीडीया की सी.ई.ओ बनी व कंपनी की राशि गबन करने के इल्जाम लगने पर दोनो पति पत्नी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था।
- इस्तीफे की तारीख पर मोनिका का सिंगापुर स्तिथ अकाउंट मे बड़ी राशि का हस्तांतरण होता है तथा उसके दो महीने बाद से मोनिका लापता हो जाती है।
- पुलिस अपनी तफतीश के बाद बताती है की मोनिका का कत्ल 24 अप्रेल 2012 को नाइदा से हीरागद जाने के दौरान कार के अंदर ही कर दिया गया था।
- हीरा के उपर पहले भी बलात्कार, हत्या जैसे संगीन अपराधो का चार्ज लग चुका है तथा मानसिक संतुलन ठीक न होने के कारण वो बरी हो चुका है।
- राज्य सरकार सी. बी. आई को मामला सौपति है व सी बी आई अपनी रिपोर्ट मे ललिता पर अपराध सिद्ध करती है व हीरा और जयंत अरोड़ा को स्वाभाविक रूप से शामिल होने का दावा करती है।

मुद्दे

मुद्दा 1: *क्या अभियुक्त द्वारा दिये गये सबूत मौजूदा मामले में उपयोग में लाए जा सकते हैं?*

उपमुद्दा1: मजिस्ट्रेट की गैर उपस्थिति के कारणवश अभियुक्त द्वारा दिये गये बयान को नजरअंदाज किया जाय ।

उपमुद्दा 2: सिर्फ उतनी ही जानकारी जो विशिष्ट रूप से उसके कारण खोजी गई सच्चाई से सम्बन्ध रखती है, पुलिस जांच द्वारा प्रमाणित की जा सकती है।

उपमुद्दा 3: क्या सह अभियुक्त द्वारा दिये गये ब्यान को अभियुक्त के विरूद्ध सबूत के रूप में प्रयोग में लाया जाना चाहिए।

मुद्धा 2 : क्या हीरा, ललिता और उनके साथी के खिलाफ हत्या, हत्या के लिए उकसाने, आपराधिक साजिश और अन्य अपराध का आरोप लगाया जा सकता है ?

उपमुद्दा 1: अज्ञात शव और परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कमीं के कारण हीरा के द्वारा दिया गया साक्ष्य अमान्य है।

उपमुद्दा 2: इस मामले में अभिप्राय एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा क्योंकि अभियोग पूर्णतः परिस्थितिकजन्य साक्ष्य पर आधारित है।

मुद्दा 3: क्या हीरा, ललिता और जयंत पर आपराधिक षड्यंत्र तथा सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया जा सकता है ?

उपमुद्दा 1: मौजूदा मामले में आपराधिक षड्यंत्र नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर विशेष उद्देश्य सिद्ध नहीं किया जा सकता है।

उपमुद्दा 2: सबूतों को गायब करने का अपराध तब तक सीध नही हो सकता जब तक यह ना सिद्ध हो जाए कि हत्या अभियुक्त ने ही की है।

तर्कों का सार

मुद्दा 1: *क्या अभियुक्त द्वारा दिये गये सबूत मौजूदा मामले में उपयोग में लाए जा सकते हैं?*

किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में होते हुए किसी अपराध से अभियोजित किसी व्यक्ति से प्राप्त उतनी जानकारी ही धारा 27 के अधीन ग्राहय होती है और उसके विरूद्ध साबित की जा सकती है जितनी उससे पता चले तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित हो, किन्तु किसी पुलिस अधिकारी से किया गया कोई कथन जो पता चले उस तथ्य को आरोपित अपराध से जोडता है अग्राहय होता है। पुलिस ने अपनी जांच–पड़ताल को पूरी तरह इस तथ्य के विश्वास पर आधारित किया है कि जो लाश मिली है वह मोनिका की है लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है।

हीरा द्वारा दिए गये बयान को ना मानना ही उचित होगा क्योंकि यह स्पष्ट है की बयान माजिस्ट्रेट की गेरमौजूदगी में दिया गया था तथा यह भी दलील की जाती है की धारा 30 के अनुसार किसी सह–अभियुक्त के बयान को, अभियुक्त के खिलाफ नही माना जा सकता । इस मामले में यह साफ है की जब पोलिस ने हीरा से सख्ती से पूछताछ की तब ही उसने ललिता के बारे में कत्ल में शामिल होने का बयान दिया, यह सफ दर्शता है कि इस अदालत को हीरा के बयान को सिरे से खारिज कर देना चाहिए ।

मुद्धा 2 : क्या हीरा, ललिता और उनके साथी के खिलाफ हत्या, हत्या के लिए उकसाने, आपराधिक साजिश और अन्य अपराध का आरोप लगाया जा सकता है ?

ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है या तो प्रत्यक्ष या परिस्थितिक जिससे पता चल सके कि मोनिका की नरसंहारक मौत हुई थी। हीरा, ललिता और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या के आरोप कमजोर है, जो कि पुलिस के द्वारा बरामद किए गए कुछ शरीर के अंगों पर टिकी हुई है।

पीड़िता के नरसंहारक मृत्यु के अन्य ठोस और संतोषजनक सबूत अभियोजन द्वारा प्रस्तुत होना चाहिए। ऐसे साक्ष्य हो सकते हैं चश्मदीद गवाह या परिस्थितिजन्य साक्ष्य, या दोनों के द्वारा, लेकिन शव की पहचान और व्यक्ति की नरसंहारक हत्या सिर्फ परिस्थितिक साक्ष्यों से ही साबित होनी चाहिए, सब सबूतों के अनुसार यह प्रतीत व साबित होना चाहिए कि पीड़ित की नरसंहारक हत्या हुई होगी।

जहाँ पर मामला परिस्थितिक– जन्य साक्ष्य पर आधारित होता है वहाँ अभिप्राय का सबूत एक महत्पूर्ण पुष्टिकर साक्ष्य का अंश होता है। पारिस्थितिक साक्ष्य के मामलो में आधारित लक्ष्य जिससे की अपराध को सिद्ध किया गया है पूरी तरह से सिद्ध होना चाहिए और परिस्थितियां अपराधी के अपराध को सिद्ध करने के लिए निश्चायक होनी चाहिए। परिस्थितियों की ऐसी श्रंखला में कोई गैप नहीं होगा। प्रस्तुत केस में साक्ष्य की परिस्थिति अभियोगी के अपराध को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है और इसलिए अभियोगी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

मुद्दा 3: क्या हीरा, ललिता और जयंत पर आपराधिक षड्यंत्र तथा सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया जा सकता है ?

किसी भी साजिश के मुख्य तत्व है कि उसके लिए विशेष उद्देश्य का होना जरूरी है तथा कोई भी अनुबंध जो किसी दूसरे व्यक्ति से अपराध कराने के लिए किया गया हो, तथा प्रत्यक्ष अपराध साजिश में शामिल व्यक्तियों में से किया गया हो। इस मामले में यह कहीं भी साबित नहीं किया कि यह अपराध दोनों अभियुक्तों में से किसी ने किया है।

अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि अभियुक्त ने ही हत्या की है,मरने वाले व्यक्ति की। इसका मतलब अभियुक्त का आरोप साबित करने से पहले नरसंहारक हत्या साबित करना आवश्यक है। यह साबित करना अनिवार्या है कि अभियुक्त जिस अपराध के साक्ष्य को मिटाने के जुर्म में है, वह अपराध वास्तव में किया गया हो, तथा अभियुक्त को इस घटित अपराध के बारे में पता हो अथवा इतनी पर्याप्त जानकारी हो कि घटना घटित हुई है। यह पोलीस के उऊपर है कि वह यह साबित करे की पाया गया शव मोनिका का ही है और उसकी हत्या हो चुकी है।

लिखित तर्क

मुद्दा 1: *क्या अभियुक्त द्वारा दिये गये सबूत मौजूदा मामले में उपयोग में लाए जा सकते हैं?*

इस माननीय अदालत में विनम्रतापूर्वक यह दलील पेश की जाता है *कि, भारतीय सक्ष्य विधि 1872 की धारा 24,25,26,27 एवं 30* के अनुसार दण्डधिकारी के गैर मौजुदगी में पुलिस को दिया गया बयान अदालत में मान्य नहीं है और तथाकथित बयान को अभियुक्त के विरूद्ध नहीं उपयोग किया जा सकता। अभियुक्त के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अनुसंधान में पाई गई जली हुई लाश यह साध्य नहीं करती कि हत्या अभियुक्त ने ही किया है, यह पूरी संभावना हो सकती है कि हत्या किसी और ने की हो और अभियुक्त ने दफनाते व छुपाते हुए देखा हो।

ऐसा पारिस्थितिक साक्ष्य जो, अभियुक्त के विरूद्ध निश्चायक साक्ष्य न बन सके, चाहे वह उसके विरूद्ध गम्भीर शक का आधार ही बनाता हो, दोषसिद्ध को बनाए नहीं रख सकता। परिस्थितियों से दोषिता का निष्कर्ष निकाले जाने को न्यायोचित बनाने के लिए, यह आवश्यक है कि अपराण्ध में फसाने वाले तथ्यों को अभियुक्त की निर्दोषिता से असंगत और दोषिता के सिताव किसी अन्य परिकल्पना का स्पष्टीकरण देने के अयोग्य दर्शित किया जाए[2]।

उपमुद्दा1: मजिस्ट्रेट की गैर उपस्थिति के कारणवश अभियुक्त द्वारा दिये गये बयान को नजरअंदाज किया जाय

माननीय सर्वोचय न्यायालय ''***स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम दियोमन अपाध्याय***[3] के निर्णयानुसार ***भारतीय साक्ष्य विधि 1872 के धारा 24*** के अनुसार "यदि अभियुक्त के खिलाफ दण्ड प्रक्रिया मे अदालत को यह प्रतित होता है कि दर्ज किया गया बयान (संस्विकृति) उत्प्रेरणा धमकी या किसी तादा (वचन) द्वारा लिया गया है तो उसे न्यायलय में मान्य नहीं किया जा सकता।"

तथा ***भारतीय साक्ष्य विधि 1872 के धारा 25*** के अनुसार "पुलिस ऑफिसर के समक्ष दी गई संस्वीकृति अभियुक्त के विरूद्ध साबित न की जाएगी।" सर्वाच्चय न्याय के अनुसार धारा 25ए 24 को पूर्ण करता है। किन्तु यह जरूरीर नहीं है कि उपर्युक्त धारा अभियुक्त पर ही प्रभावी हो। धारा 24 और 25 में प्रयोग अभियुक्त शब्द का मतलब

---

[2] एमपेरर ब. कगाल माली (1905) पा कल 601, एमनपेरर ब. प्रभू (1941) इला 243 पूर्ण न्यायपीठ, प्रीतम सिंह ब. त्रिलोक सिंह (1953) 2 पटियाला 187

[3] पकाला नारायन स्वामी बनाम एम्परर एल. आर. 66 आइ. ए. 66, लीगल रेमेमब्रेन्स बनाम ललित मोहन सिंह आइ. एल. आर (49) कल. 167, सन्तोखी बेलदार बनाम के. ई. आई. एल. आर (1928) पट. 411, दुर्ली नमसुद्रा बनाम एम्प. आई. एल. आर. (59) कल. 1040, भरोसा रामदयाल बनाम एम्प. ए.आई.आर. 1941 नाग. 86, जल्ला बनाम एम्प. ए.आई.आर. (1931) ला. 278, वेस्ट कोस्ट होटल कम्प. बनाम पेरिश 300 यू.एस. 379, वीवर बनाम पाल्मर ब्रोस. कम्प 270 यू.एस. 402, मिलर बनाम विलसन 236 यू.एस. 373, इब्राहिम बनाम एम्परर (1914) ए.सी. 599, रेक्स बनाम बूथ एन्ड जोन्स (1910) क्र. एप्प. रेप. 177, रेग बनाम नाइट एन्ड थेयर (1905) 20 कोक्स सी. सी. 711, रेग. बनाम बेल्डी (1852) 5 कोक्स सी. सी. 523, रेक्स बनाम वेरिक्शेल (1783) 1 लीच सी.सी. 263, रेग बनाम थाम्प्सन (1893) 2 क्यू. बी., रेक्स बनाम रिचर्ड ग्रिफिन (1809) 168 ई.आर. 732, रेक्स बनाम फ्रेन्सिस जोन्स, रेक्स बनाम डेविड जेन्किस 168 ई.आर. 914

एक समान है जिसका अर्थ है कि वह व्यक्ति जिसके विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया में साक्ष्य प्रयोग किया जा रहा हो।

भारतीय साक्ष्य विधि 1872 के धारा 26 प्रथम अनुच्छेद के अनुसार ष्पुलिस की अभिरक्षा में दी गई संस्वीकृति, संस्वीकृति देने वाले व्यक्ति के विरूद्ध साबित नहीं की जा सकती जब तक वह दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) की उपस्थिति में ना दी गई हो।ष

स्वोंच्य न्यायलय के इस कथन को ध्यान में रखते हुए यह बहुत स्पष्ट किया है कि पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा ब्यान न्यायलय में मान्य नहीं किया जा सकता[4]। भारतीय साक्ष्य विधि 1872 के धारा 24 से 27[5] तक एवं भारतीय दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 के धारा 162 के पर्याप्त विश्लेषण के बाद निम्नलिखित कथन मिलते है।

1. यदि कोई व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में हो अथवा बाहर होए तब उससे यदि कोई पुलिस अधिकारीए कोइ सस्वीकृति लेता है जो उस व्यक्ति को डरा धमकाकर, प्रलोभन से अथवा कोई वचन लेकर लिया गया हो तो वह संस्वीकृति उस व्यक्ति के विरूद्ध प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता। वह संस्वीकृति न्यायालय में साक्स भी नहीं होगा।

2. यदि कोई व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को संस्वीकृति देता है तो वह भी तब तक मान्य नहीं है जब तक वह संस्वीकृति न्यायिक दण्डाधिकारी की उपस्थिति में न दी गई हो।

3. किसी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी का वह भाग उसने संस्वीकृति अथवा ऐसे ही पुलिस अभिरक्षा में दी हो जोकि अनुसंधान (अन्वेषण) में पाया गया हो सिर्फ वहीं भाग न्यायलय में मान्य है।

भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 148 के अनुसार पुलिस अधिकारी के समक्ष दी गई संस्वीकृति साक्ष्य के तौर पर पेश नहीं की जा सकती है तथा ***धारा 149*** के अनुसार पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी व्यक्ति द्वारा अपराध की संस्वीकृति तब उसके विरूद्ध साक्ष्य के तौर पर मान्य होगी तब संस्वीकृति न्यायिका दण्डाधिकारी के समक्ष दी गई हो।

अतः उपर्युक्त धाराओं के अध्ययन के पश्चात यह प्रतीत होता है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष दी गई कोई भी संस्वीकृति पूरी तरह से साक्ष्य के तौर पर पेश करने से मना किया गया है। किंतु वह भाग जो अन्वेषण में पाया गया है उसे साक्ष्य के तौर पर न्यायलय में पेश करते है।

उपमुद्दा 2ः सिर्फ इतनी सी जानकारी जो विशिष्ट रूप से उसके कारण खोजी गई सच्चाई से सम्बन्ध रखती है, पुलिस जांच द्वारा प्रमाणित की जा सकती है

[4] धारा 24 से 30 के बीच अन्तर्विष्ट संस्वीकृति के संबंध में विधि की पूर्ण चर्चा के लिए देखे एनगोसिया ब. बिहार स्टेट, ए आई आर 1966 एस.सीत्र 1191य नारायणा (1953) हैदराबाद 321 किसी वस्तु के छिपाये जाने या उस वस्तु के अता–पता का अभियुक्त को ज्ञान होने के संबंध में, पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए किसी अभियुक्त का कथन और उस कथन के परिणामस्वरूप उस तथ्य का पता चलना साक्ष्य में ग्राहय होता है

[5] जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस आफिसर की अभिरक्षा में हो प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से उतनी चाहते वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं जितनी सतदूद्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्ट सम्बंधित है साबित की जा सकेगीं

इस माननीय अदालत में विनम्रतापूर्वक यह दलील पेश की जाता है कि किसी पुलिस आफिसर की अभिरक्षा में होते हुए किसी अपराध से अभियोजित किसी व्यक्ति से प्रापत उतनी जानकारी ही ***धारा 27***[6] के अधीन ग्राहय होती है और उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है जितनी उससे पता चले तथ्य से स्पष्ट रुप से साबित हो, किन्तु किसी पुलिस आफिसर से किया गया कोई कथन जो पता चले उस तथ्य को आरोपित अपराण से जोडता है अग्राहय होता है।[7] यह धारा, धारा 25 और 26 के पशंतुक के रूप में कार्य करती है [8] इसके अतिरिक्त ***कलकत्ता और नागपुर के उच्च न्यायलयों*** ने अभिनिर्धार्रित किया है कि यह धारा, धारा 24 **के** विषेशित करती है।[9] और सके संप्रवर्तन को समिति करती है[10]।

''इतनी सी'' का अर्थ है जानकारी का वह हिस्सा जो वास्तव में हकीकत की खोज तक ले जाए, अकेले ही प्रमाणित है न पूरी जानकारी। पहले अदालत ने एक गलत दृष्टिकोण अपना लिया था एवं सम्पूर्ण जानकारी पर ही कार्यवाही कर दी थी। सिर्फ इतनी सी जानकारी जो खोजी गई हकीकत से विशिष्ट रूप से सम्बन्ध रखती है प्रमाण में स्वीकार्य है[11]। आरोपी द्वारा कहे गए कथन का सिर्फ वह अंश भाग ही जो सत्य की खोज का तत्कालीन कारण हो, विधिक प्रमाण होगा न कि आरोपी का सम्पूर्ण कथन[12]।

''ऐसी जानकारी में से उतनी.......... जितनी .... पता चल तथ्य से स्पष्टतथा संबंधित है'':– शब्द ''सुभिन्नता से '' से तात्पर्य ''प्रत्यक्षतः'' से'' (कपतमबजसल), ''निश्चिततः'' (पदकपतमबजंससल)''सुनिश्चितः'' ेजतपबजसल)दक ''सुस्पष्टतः'' (नदउपेजंइसल) से है।[13]

बम्बई के उच्च न्यायलय ने सम्प्रेक्षण किया हैः 'ऐसा नही है कि सम्पति की बरामदगी या पये जाने से सम्बंधित सभी कथन ग्राहळा हो, केवल वे जिनसे सीधे सम्पति की बरामदगी होती है, और जहां तक वे ऐसे पता चलने में सहायक होते है उचित रुप ये उतने ही ग्राहय़ होते है।[14]

जहां अभियुक्त पुलिस को इस रुप में जानकारी देता है जिससे ऐसी जानकारी कई भागों में बंट जाती है, तो इस धारा के अधीन ग्राहय भाग को आसानी से अलग किया जा सकता है। किन्तु, जहां अभियुक्त अपनी जानकारी मिश्रित कथन के रूप में देता है, वहां न्यायधीश को, इससे पूर्व कि वह इसे साक्ष्य के रुप में अभिलिखत करे, चाहिए कि वह उस वाक्य को उसके वास्तविक संघटको में बांट और केवल वहीं भाग समग्र रूप

---

[6] भारतीय सक्ष्य विधि 1872

[7] मोतीलाल, (1959) पटना 1511 स्टेट ब. राम शिदप्पा 1951) 54 बम्बे एल. आर 316 स्टेट ब. रगाराव डेनयानू (1951) 53 बाम्बे एल आर 834

[8] कवीन एम्प्रेस ब. बाबूलाल, (1884) 6 इला. 509, पूर्ण न्यायपीठ, ग्यानूच्न्द्र ब. एमपेरर, (1931) 56 बाम्बे 172, नरेश चन्द्र दास ब. एमपेरर, (1942) 1 कल. 436, पकाला नारयण स्वागी ब. एमपेरर (1939) 66 आई ए 66

[9] अमीरुदीन अहमद ब. एमपेरर(1917) 45 कल 557

[10] दुर्लवव नामासूद्र ब. एमपरेर, (1931) 59 कल 1040, निहारू ब. एमपरेर (1937) नागपुर 268, मुसम्मात जमुनियया ब. किंग– एमरेर (1936) नागपुर 781 इसके प्रतिकूल देखे, सुपरिटेंडैंट एण्ड रिमेम्ब्रैसर ऑफ लीगल अफेयर्स, बंगाल ब. भाजू मंझी (1929) 57 कल 1062 उच्चतम न्यायलय ने अब यह अभिनिर्धारितत किया है कि यह धारा, धारा 24,25 और 26 को नियंत्रित करती है। (ए. नगोसिथा ब. बिार स्टेट ए आईआार 1966 एस.सी. 119, मथुरा ब. गि एम्पेरर, 1945) 24 पटना इस

[11] सुर्यभान बनाम स्टेट, 2004 क्रि. एल.जे. (एन.ओ.सी.) 289 (राज), चन्द्राप्पा बनाम स्टेट, 2010 क्रि. एल.जे. 4324 (मद्रा.)

[12] अर्जुन बिसवास बनाम स्टेट 2005 क्रि. एल.जे. 554 (गुवा.), स्टेट (एन.सी.टी ओफ दिल्ली) बनाम नवजोत सन्धु एलिअस अफसन गुरु, 2005 क्रि. एल.जे. 3950 (एस. सी.)

[13] मेघाजी गोडाडजी ठैकोर व स्टेट ऑफ गुजरात, 1993 कि एल जे 730 (गुज)

[14] यह आवश्यक है कि तथ्य का पता हिपाने के स्थान से ही चले और न कि लोक स्थानन से जैसेस रेल का प्लेटफार्म जिसके बारे में कोई भी जान सकता था। मोहम्मद इनायात उल्लाह व. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र,ए आई आर 1976 एस.सी. पठ0, मायाचर शा ब. स्टेट, 1987 कि एल.जे. 1948 उडीसा

से ग्रहण करें जिससे उस विशिष्ट –तथ्य का पता चला हो।[15] यह धारा कथन के केवल उस भाग को समग्र रूप से ग्राह बनाती है जो तथ्य के पता चलने से स्पष्टतथा संबंधित है, चाहे वह संस्वीकृति के स्वरूप का हो न हो।[16]

जहां अभियुक्त पुलिस से यह ब्यान देता है, ***''मैं वह हिस्सा पेश कर दूंगा जो मुझे अमुक डकैती में मिला था***, तो वह कथन निम्न भागों में बांटा जा सकता है।

1. यह स्वीकृति कि डकैती डाली गथी थी,
2. यह स्वीकृति कि अभियुक्त ने उसने भाग लिया था।
3. यह स्वीकृति कि उसे सम्पति का एक भाग मिला था।
4. यह कथन की सम्पत्ति कहां है।

प्रथम तीनों भाग, धारा 25 को ध्यान में रखते हुए साक्ष्थ में ग्राहथ नहीं है। किन्तु चौथा भाग इसस धारा के अधीन ग्राहय है।[17]

जहां अभियुक्त नु पुलिस से यह कथन किया था कि मृतक का गला एक चाकू से काट डाला गया था, और चाक रसोईघर में एक विशिष्ट स्थान पर रखा है, और पुलिस को उपदर्शित स्थान पर चाकू मिला था, यह अभिनिर्धारित किया गया कि कथन के पहले भाग के जो अपराध में फसाने वाला भाग था और जिससे चाकू का पता चलने में प्रत्यक्ष सहायता नहीं मिली थीए इस धारा के अधीन अपवर्जित कर दिया जाना हिए किन्तु कथन के दूसरे भाग को ग्रहण कर लिया जाना चाहिए ।[18]

''मैने आाभूषणों को उतार लिया था, बाालक को कुंए में ढकेल दिया था और उन्हें ''एक्'स'' के यहां गिरवी रख दिया था'' वे आभूषण 'एक्स' के यहां से बरामद हुए थे। यह अभिनिधीरित किया गया कि यह कथन कि अभियुक्त ने आभूषण 'एक्स' के यहां गिरवी रख दिए थे, ग्राहय था, किन्तु अपराध में फंसाने वाले शेष कथन साक्ष्य में ग्रहण नहीं किए जा सकते थे[19]।

एक मामले में – ***अथप्पा गौन्दर बनाम सम्राट***[20]–आरोपी अथप्पा एवं एक अन्य व्यक्ति सैन्नीभालाई गौन्दर पर गुरानधा गौन्दर के कत्ल का मुकद्मा चलाया गया। जब उनहें गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने जानकारी दी कि उन्होंने ष्मृतक की गर्दन के गिर्द एक रस्सा बांध दिया था, उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसे घोटकर मार दिया था एवं उन्होंने कपड़े का टुकड़ा एवं एक खाली बोतल को कूड़े के ढेर अथवा कुरड़ी के नीचे छिपा दिया था।ष इस जानकारी के फलस्वरूप, महत्वपूर्ण वस्तु ढूंढ ली गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस आधार पर सम्पूर्ण जानकारी पर कार्यवाही कर दी कि ढूंढी गई वस्तुओं का सम्बन्ध प्रश्नगत अपराध से था।

इसलिए अदालतें कथन की सम्पूर्ण जानकारी पर इस आधार पर कार्यवाही कर रही थी कि कथन अभिन्न था और उसका सम्बन्ध अपराध के होने से था। यह स्थिति या ऐसे

---

[15] स्टेट ऑफ यू.पी. बी. देवमन, ए आई आर 1960 एस.सी. 1125
[16] चिन्ना–स्वामी) व स्टेट ऑफ ए.पी,ए आई आर 1962 एस सी 1788
[17] (एमपेरर ब. ग्यानू चन्द्र, (1931) 34 बाम्बे एल.आर 303
[18] एमपेरर ब. सालवे, (1933) 36 बाम्बे एल आर 384
[19] सुखन ब.द. काउन, (1929) 1 लाहौर 283, पूर्ण न्याथपीठ य अब्दुल बाशा साहेब, (1940) मद्रास 1028 .जहां हत्या के एक माले में, प्रथम अभियुक्त ने सर्किल निरीक्षक से एक संस्वीकृति की थी जिससे हत्या की गयी स्त्री के आभूषण बरामद हुए थे और खून लगी एक ईट भी जिसके बारे में प्रथम अभियुक्त ने यह बयान दिया था कि उसे दूसरे अभियुक्त ने उसको मारने के प्रयुक्त किया था और जिस मारे जाने के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्त्यु हो गयी थी, यह अभिनिर्धारित हुआ कि प्रथम अभियुक्त का ब्यान इस धारा के अधीन उतना ही ग्राहय था जितना अभूषण के पता चलने से संबंधित था और यह कि उसे धारा 30 के अधीन दूसरे अभियुक्त के विरूध विचारण में नहीं लाया जा सकता था।
[20] ए.आई.आर. 1937 मद्रा. 618

फैसले तब तक जारी रहे जब तक सर्वोच्च न्यायालय ने एक अविस्मरणीय फैसला न दे दिया–***पुल्लुकोरी कोट्टाया बनाम सम्राट***[21] के नामी–गिरामी मामले में तीसरे आरोपी ने निम्न ब्यान दिया,

''मैंने शिवाया का कत्ल एक भाले के साथ कर दिया। मैंने उस भाले को गांव में किसी आंगन में छिपा दिया।'' छठे आरोपी ने निम्न शब्दों में अपना अपराध स्वीकार कर लिया, '' लगभग चौदह दिन पहले मैं, कौटईयाह एवं हमारे गुट के लोग लगभग सूर्यास्त के समय शिवाया एवं सुबैया एवं अन्य के इन्तजार में जमा थे और जब वे आए हम सबने उनको पीट–पीटकर मार दिया। रमैय्या के हाथ में एक लाठी थी जो उसने मुझे दी। मैंने लाठी को श्री वेंकटनारासु के पुआल के ढेर में छिपा दिया। हम सबने ऐसा कौटईयाह के उकसावे में आकर किया।''

प्रश्न ये था कि क्या यह जानकारी जो हथियारों की खोज तक ले गई साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत साध्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 27 के अंतर्गत आरोपियों ने प्रथम अवस्था में जानकारी उस समय दी होगी जब वे पुलिस की हिरासत में थे एवं सत्य का पता चला और उसके बाद उस जानकारी की सिर्फ इतनी सी जानकारी या अंश या हिस्सा जो उसके फलस्वरूप खोजी गई सच्चाई से विशिष्ट रूप से सम्बन्धित हो, को प्रमाणित किया जा सकता है [22]।

धारा 27 के अर्थो में खोजी गई सच्चाइ को पेश की गई वस्तु या हथियार के समान मान लेना भ्रम में डालने वाला है।

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि तीसरे आरोपी द्वारा दिए गए स्वीकारोक्ति के ब्यान का पहला भाग ''मैंने शिवाया को भाले से मारा'' जरूर निकाल देना चाहिए। इसी प्रकार छठे आरोपी द्वारा दिए गए ब्यान का हिस्सा ''हम सबने शिवाया एवं सुबैया को पीट–पीटकर मार डाला'' को भी अस्वीकार्य माना जाना चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला इस निर्देश के साथ मद्रास उच्च न्यायालय भेज दिया कि यह देखा जाए कि अस्वीकार्य प्रमाण को निकाल देने के बाद दोष सिद्धि कायम रहती है अथवा नहीं[23]।

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही के एक फैसले–**महाराष्ट्र सरकार बनाम दामू गोपीनाथ शिन्दे**[24]–में माना है :

> ''अब यह निश्चित है कि किसी हथियार/वस्तु की प्राप्ति सच्चे तथ्य की खोज नहीं है जैसा कि धारा में परिकाल्पित है। हथियार की प्राप्ति सिर्फ एक निमित्त या हेतु है। हथियार की प्राप्ति या हथियार को खुद पेश करना सत्य की खोज में फलदायी हो–ऐसा आवश्यक नहीं है। हथियार/वस्तु की खोज को सत्य या तथ्य की खोज के बराबर नहीं माना जा सकता। यद्यपि हथियार की खोज यह जानने में मदद कर सकती है कि क्या सच्चाई का अन्तिम स्वरूप वैसा ही है जैसा कि आरोपी के आधार पर प्राप्त हुआ है।''

---

[21] इस मुकद्में में कोटईयाह एवं सत्रह अन्य लोगों पर गांव की एक गुटबाजी की लड़ाई में शिवाया एवं सुबैया के कत्ल का मामला चला। तीसरे एवं छठे नंबर पर जो आरोपी गिरफ्तार किए गए उन्होंने पुलिस को जानकारी दी एवं इस जानकारी से कत्ल में प्रयुक्त हथियार खोज लिए गए।

[22] अर्जुन बिसवास बनाम स्टेट 2005 क्रि. एल.जे. 554 (गुवा.), स्टेट (एन.सी.टी ओफ दिल्ली) बनाम नवजोत सन्धु एलिअस अफसन गुरु, 2005 क्रि. एल.जे. 3950 (एस. सी.)

[23] बिजेन्द्र सिन्ह बनाम स्टेट ओफ यू.पी. 2002 क्रि. एल.जे. 3671, आलोक नाथ दत्ता एन्ड अदर्स बनाम स्टेट ओफ वेस्ट बंगाल (12.12.2006–एस. सी.) स्टेट (एन.सी.टी. ओफ दिल्ली) बनाम नवजोत सन्धु अफसन गुरु (4.08.2005–एस.सी.) सलीम अख्तर मोटा बनाम स्टेट ओफ यू.पी. (9.04.2003–एस.सी.), संजय/ काका बनाम स्टेट (एन.सी.टी. ओफ दिल्ली) (7.02.2001–एस. सी.) आफ्ताब अहमद खान बनाम द स्टेट ओफ हैदराबाद (6.05.1954–एस.सी.)

[24] ए.आई.आर. 2000 एस.सी. 1691

पुल्लुकुरी कोट्टाया बनाम सम्राट[25] मामले का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पुष्टिकारक व्याख्या का विश्वस्त उद्धृत है कि क्या धारा में परिकाल्पित खोजी गई सच्चाई उस स्थान को समाविष्ट करती है जहां से हथियार या वस्तु को पेश किया गया है। क्या आरोपी की जानकारी इससे सम्बन्धित है। परन्तु दी गई जानकारी का उद्देश्य से विशिष्ट रूप से सम्बन्ध होना चाहिए।

अतः न्यायलय में भारतीय साक्ष्य विधि 1872 के धारा 27 के अन्तर्गत सिर्फ यही मान्य होगा कि अभियुक्त को जले हुए शव की जानकारी थी इस तथ्य से यह मान्य नहीं होगा कि हत्या अभियुक्त के द्वारा की गई है। वर्तमान मामले में पुलिस ने अपनी जांच–पड़ताल को पूरी तरह इस तथ्य के विश्वास पर आधारित किया है कि जो लाश मिली है वह मोनिका की है लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है। इसलिए पुलिस की आगे की खोजबीन को तब तक नहीं परखा जा सकता जब तक यह साबित न हो जाए कि लाश मोनिका की ही है।

उपमुद्दा 3:– क्या सह अभियुक्त द्वारा दिये गये ब्यान को अभियुक्त के विरूद्ध सबूत के रूप में प्रयोग में लाया जाना चाहिए।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की ***धारा 30*** के अनुसार "सह अभियुक्त द्वारा की गई अपराध की स्वीकारोक्ति अभिलेख में दिये गये मूल सबूतों के प्रति आश्वस्त होने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि ऐसी स्वीकारोक्ति के लिए किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है[26]।"

अभियुक्त का वह कथन जिसके आधार पर मृतक का शव बरामद हुआ था, उस कथन के करने वाले से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के विरूध प्रयोग नहीं किया जा सकता[27]।

मौजूदा मामले में किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य सबूत मौजूद नहीं है जिसके आधार पर वादी पर हत्या करने या हत्या करने के लिए उकसाने को, आरोप लगाया जा सके, सिवाय इसके कि आरोपी के विरूद्ध अपराध के उद्देश्य से सम्बन्धित कुछ साक्ष्य मौजूद है। अतः सह अभियुक्ति हीरा द्वारा अपराध को स्वीकार किये जाने वाले ब्यान को, मूल सबूत के रूप में प्रयोग करना गलत होगा।

उस्तर अली बनाम राज्य[28] मामले में इस प्रकार की छूट देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा-

> "यदि उच्च न्यायालय अनुभाग भूलवश कानून की अनुपालना में दूसरे आरोपी के विरूद्ध, हत्या के अभियोग में, सह आरोपी द्वारा की गई स्वीकारोक्ति, मूल साक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है तो वा सरासर गलत है अभियुक्ति ही द्वारा दिये गये ब्यान को मूल साक्ष्य के प्रति आश्वस्त होने के लिए ही स्वीकार करता है।"

जैसा कि '***भूबोनी सेफर बनाम द किंग***[29] मामले में, प्रिवी काउंसिल ने माना कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के तहत् सह अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकारोक्ति को संज्ञान में लिया जा सकता है, परन्तु धारा यह नहीं कहती है कि मौजूदा मामले में कोई प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य उपलब्ध न होने पर, अपीलकर्ता के विरूद्ध हत्या करने या हत्या के लिए उकसाने का जुर्म साबित होता है सिवाय इसके कि आरोपी के विरूद्ध हत्या के उद्देश्य के बारे में कुछ सबूत मौजूद हैं।

---

[25] ए.आई.आर. 1947 पी.सी 67

[26] ए भुबोनी सेफर बनाम द किंग, आई. एल.आर. 76 इंडियन अपील्स 147, लुफ्फुन नाहार बनाम द स्टेट, 27 डी.एल.आर. 29 , बाबर अली मोल्लाह बनाम द स्टेट, 44 डी.एल.आर. (ए.डी.)

[27] सुरेन्द्र प्रसाद ब0 स्टेट ऑफ बिहार 1992 क्रिल जे 2190 (पटना)

[28] ए आई आर १९५९ एम पी ४६

[29] आई. एल.आर. 76 इंडियन अपील्स 147

लुतफन नाहर बनाम राज्य[30], में भी उपर्युक्त सिद्धान्त का ही वर्णन किया गया है कि एक समान अपराध की संयुक्त सुनवाई के दौरान सह अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकारोक्ति को स्वयं उसके या दूसरों के विरूद्ध रिकार्ड में दाखिल मूल साक्ष्यों के अतिरिक्त पुष्टिकरण के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

मौजूदा मामले में ये बहुत ही स०फ है की हीरा द्वारा दिया गया बयान जो की माजिस्ट्रेट कि गेरमौजूदगी में दिया गया था ना तो उसके खिलाफ ना ही ललिता या जयंत अरोरा के विरुध उप्यूग में लाया जा सकता हैद्य यह तो बहुत स०फ है की हीरा के बयान पर निर्भर होना और निर्भर होते हुए बाकियों को भी शक के घेरे में लेना सही नही होगाद्य पोलिस को दिए गये बयान कितने गंभीर रूप से गलत हो सकते है ये तो इस बात से ही स०फ होता है कि ललिता ने भी पोलिस इंटरओगेशन में यह मान लिए की हत्या उसी के कहने पर हुई हैद्य यह स०फ स०फ दिखता है की अभियुक्त कितने तनावपूर्ण स्तिति मेंहोते हैं जब उनसे बयान लिया जाता हैद्य और उस तनावपूर्ण स्तिति में दिए गये बयान को माँया नही किया जाए यही इस माननीय अदालत से सदर अपील है

मुद्दा 2 – क्या हीरा, ललिता और उनके साथी के खिलाफ हत्या, हत्या के लिए उकसाने, आपराधिक साजिश और अन्य अपराध का आरोप लगाया जा सकता है ?

इस माननीय अदालत में विनम्रतापूर्वक यह दलील पेश की जाता है कि हत्या, हत्या के लिए उकसाने, आपराधिक साजिश रचने के आरोप हीरा के द्वारा दिए गए ब्यान पर आधारित हैं जो उसने पुलिस हिरासत में दिया था। राज्य की तरफ से यह भी प्रस्तुत है कि हीरा के द्वारा बताई हुई जगह पर किसी शव के कुछ हिस्से मिले थे लेकिन प्रतिवादी पक्ष इस दलील पर जोर डालना चाहता है कि ऐसा कोई भी साक्ष्य डीएनए नहीं है जिससे यह साबित किया जा सके कि जो शव जंगल में मिला था, वो मोनिका का ही शव है। इस परिदृश्य में जहां शव की असली पहचान पता लगाना संभव नहीं है, सबूत का बोझ अभियोग पक्ष पर है कि वे शव की पहचान का ठोस सबूत पेश करें।

किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया जा सकता जहां उसकी दोषित के सिद्धान्त की सम्भाव्यता उसके निर्दोषित के सिद्धान्त की सम्भाव्यता से अधिक न हो[31]। किसी दांडिक विचारण में दोषिता की अधिसंभाव्यथा की मात्रा बहुत अधिक होती है लगभग निश्चितता के कोटि की और, यदि अभियुक्त की निर्दोषित की तनिक भी युक्तियुक्त या अधिसंभाव्य सम्भावना हो, तो उसका लाभ उसको दिया जाना चाहिए[32]।

आपराधिक मामलों में सबूत का भार अभियुक्त पर कभी स्थानांतरित नहीं होता और अपनी निर्वोषिता साबित करने के लिए या अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करने के लिए या कोई कथन करने के लिए वे किसी बाध्यता के अधीन नहीं होतें[33]।

जब अपराध से आरोपित व्यक्तियों की दोषिता या निर्दोषिता के गम्भीर प्रश्न पर विचार किया जा रहा हो, अधिकरणों के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन किए जाने का सुझाव दिया गया है [34]।

---

[30] जो 27 डीएलआर 29 में, और बाबर अली मोलाह बनाम राज्य, जो 44 डीएलआर (एडी) 10 में वर्णित है

[31] एमपेरर ब. शिवदास ओकार , (1912) 15 बाम्बे एल आर 315

[32] सी. चेंगा रेड्डी और अन्या बनाम स्टेट अफ आंध्रा प्रदेश और अन्या;1996) 10 एस.सी.सी. 193

[33] बिनायेन्द्र चन्द्र पांडे व एमपेरर (1936) 63 कल 929

[34] पाडाला वीरा रेडी बनाम स्टेट अ०फ आंध्रा प्रदेश और अन्या 1989 सुप्प (2) एस.सी.सी. 706 बेस्ट, संस्करण .I 12, सैक्शन 439, 440, 441–451, पृ 372–3821

1. अभियुक्त के विरूद्ध आरोप साबित किये जान से सम्बंधित प्रत्येक आवश्यक बात को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है।

2. साक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो किसी नैतिक निश्चितता तक अभियुक्त की दोषिता के संबंध में प्रत्येक युक्तियुक्त संदेह को अपवउर्जित कर दो।

3. संदेह के मामलों में सिद्धदोष ठहरने की तुलना में दोषमुक्त करना अधिक उचित होता है, चूंकि यह बेहतर होता है कि कोई दोषी व्यक्ति बच जाये बमुकाबले इसके कि एक निर्दोष व्यक्ति कष्ट भोगे।

4. अपराध के सार (बवतचने कमजपबपि) का सबूत साफ और सुस्पष्ट होना चाहिए। अपचाशिता की परिकल्पना को सारे साबित तथ्यों से सुसंगत होना चाहिए[35]।

उपमुद्दा1- अज्ञात शव और परिस्थितिजन्य साक्ष्य, सबूतों की कमीं के कारण हीरा के द्वारा दिया गया साक्ष्य अमान्य है।

रिशीपाल बनाम उत्तराखण्ड सरकार सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2013 को निर्णय लेते हुए कहा कि.

> "शव की शिनाख्त की अनुपस्थिति में अदालत यह ठोस सबूत ढूंढने की कोशिश करती है जिससे यह साबित होता हो कि मरने वाला शख्स वही हो जिसकी मौत हुई हो। अगर अभियोजन पक्ष ठोस और संतोषजनक सबूत प्रदान करने में सफल होता है कि मरने वाले की मौत नरसंहारक तरीके से हुई थी, शव की शिनाख्त हत्या के आरोप को सिद्ध करने के लिए आवश्यक नहीं होगी लेकिन अभियोजन पक्ष ऐसा कोई भी सबूत देने में असफल होता है तो हत्या के आरोप से जुड़े मामले में सबसे जरूरी आवश्यकता को पूरी करने में असफल होगा।"

ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है या तो प्रत्यक्ष या परिस्थितिक जिससे पता चल सके कि मोनिका की नरसंहारक मौत हुई थी। हीरा, ललिता और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या के आरोप कमजोर है, जो कि पुलिस के द्वारा बरामद किए गए कुछ शरीर के अंगों पर टिकी हुई है।

रामानंद बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार [36]न्यायालय ने इस विषय पर कानूनी स्थिति को अभिव्यक्त किया है :–

> "इस मुकदमें में हम यह मानके चलेंगे कि मरने वाले का शव नहीं मिला था लेकिन इस धारणा पर सवाल यह है कि क्या अन्य परिस्थितियों पर स्थापित निष्कर्ष सभी मानव संभावना के भीतर की रामानंद के द्वारा मारी गई? गैर इरादतन हत्या के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि अभियुक्त ने ही हत्या की है, मरने वाले व्यक्ति की। इसका मतलब अभियुक्त का आरोप साबित करने से पहले नरसंहारक हत्या साबित करना आवश्यक है।"

सर मैथ्यू हेल कहते हैं कि मैं कभी किसी को अपराधी नहीं कहूंगा जब तक ठोस सबूत नहीं दिया जाए साबित करके या कम से कम शरीर मृत पाया गया हो। हमारे कानून

---

[35]गम्भीर बनाम स्टेट ओफ महाराष्ट्र (1982) 2 एस.सी.सी. 351
[36]ए.आई.आर. 1957 एस.सी. 381

के मुताबिक ***सर हेल के प्रतिपादन के अनुसार*** जहां एक हत्या के मामले में पीड़ित का मृत शरीर नहीं पाया जाता है वहां अधिक व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। पीड़िता के नरसंहारक मृत्यु के अन्य ठोस और संतोषजनक सबूत अभियोजन द्वारा प्रस्तुत होना चाहिए। ऐसे सबूत हो सकते हैं ***चश्मदीद गवाह*** या परिस्थितिजन्य साक्ष्य या दोनों के द्वारा लेकिन शव की पहचान और व्यक्ति की नरसंहारक हत्या सिर्फ परिस्थितिक साक्ष्यों से ही साबित होनी चाहिए, सब सबूतों के अनुसार यह प्रतीत व साबित होना चाहिए कि पीड़ित की नरसंहारक हत्या हुई होगी।

उपमुद्दा 2: इस मामले में अभिप्राय एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा क्योंकि अभियोग पूर्णतः परिस्थितिक– जन्य साक्ष्य पर आधारित है

जहाँ पर मामला परिस्थितिक– जन्य साक्ष्य पर आधारित होता है वहाँ अभिप्राय का सबूत एक महत्पूर्ण पुष्टिकर साक्ष्य का अंश होता है[37] I यदि अभप्राय संदर्भित और साबित कर दिया जाता है तो यह अपिराध करित करने की संभावना को और शासक्त बना देता है बेंच ने निम्न संदर्भो में कानून का पुनर लेखन किया है , ***शिव जी गेनु मोहिते बनाम स्टेट अ०फ महाराष्ट्रा[38]***,मामले में न्यायालय ने माना की–

"अभिप्राय का साक्ष्य, बिना किसी शक, उन मामलो मे बहुत आवश्यक है जो कि परिस्थिक साक्ष्य पर निर्भर होते है, अभिप्राय परिस्थिक साक्ष्य की कड़ियो को पूर्ण करने मे बहुत बड़ी भूमिका निभाता है[39]।"

इसी प्रकार के अन्य मामलों में न्यायालय(***स्टेट अ०फ उत्तर प्रदेश बनाम किशनापाल और अन्या [40]***) निम्न कथ्य माना -

> "अभिप्राय को परिस्थिति के रूप में माना जा सकता है जो की साक्ष्य निर्धारण में प्रासंगिक है, लेकिन यदि साक्ष्य स्पष्ट हैं और परिस्थितियाँ अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करती हैं तो यह अभिप्राय के बहुत मजबूत ना होने पर भी इसे कमजोर नही बनती हैं यह भी एक स्थापित विधि है कि जहाँ प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध है वहाँ अभिप्राय अपना पूरा महत्व खो देता है क्योंकि किसी विशेष अपराध को करने का अभियोजित का अभिप्राय मजबूत हो सकता है परन्तु साक्ष्य के विश्वसनीय ना होने पर किसी को नापराधी नही ठरया जा सकता, ठीक उसी प्रकार यह संभव है की कोई स्थापित अभिप्राय ना हो, लेकिन यदि गवाह के साक्ष्य स्पष्ट और विश्वसनीए हैं, तो अपराध निर्धारण में अभिप्राय की अपर्याप्त्ता आड़े नही आएगी"

जहाँ पे न्यायलय किसी मामले को अपने समक्ष प्रस्तुत किये गए तथ्यों के आधार पर सिद्ध कर देता है, वहां पर अभिप्राय का महत्व कम हो जाता है। लेकिन पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामलों में अपराध करीत करने का अभिप्राय बड़ा महत्व रखता है। ऐसी परिस्थिति में अभिप्राय की अनुपस्थिति न्यायलय को साक्ष्य का परिक्षण बहोत ही सावधानी से करने के लिए संरक्षित कर देता है जिससे की संदेह, भावना या अनुमान साक्ष्य का स्थान न ले सके[41]।

---

[37] टोमासो ब्रुनो बनाम स्टेट ओफ यू.पी. (2015) 7 एस.सी.सी. 178

[38] ए आई आर 1973 एस सी 55

[39] वीदे हरी शंकर बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश, (1996) 9 एस सी सी 50य बिकौ पाणडेव और अन्या बनाम स्टेट आफ बिहार (2003) 12 एस सी सी 696य अबू ठकुर और नया बनाम स्टेट आफ तमिल नाडु, (2010) ५ एस सी सी 19य उजागर सिंग बनाम स्टेट अफ पुंजब, (2007) 93 एस सी सी ७3

[40] (2008) 16 एस सी सी 73

[41] सुरिंदर पल जैन बनाम देल्ही आड्मिनिस्ट्रेशन और तरसीं बनाम देल्ही आड्मिनिस्ट्रेशन

पुनः न्यायालय में ***सुरेश चंद्र बनाम स्टेट आफ बिहार*** के मामले में यहाँ अभिरखित किया है –

“कभी कभी अभिप्राय एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है तथा अपराध करने की एक वाहंकारी शक्ति बन जाता है और इसलिए अपराध के लिए अभिप्राय एक प्रासंगिक तथ्य बन जाता है, ज्सिके लिए साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है। अभिप्राय किसी को एक निश्वित विचार या इरादा, किसी गैर कानूनी या कानूनी कार्य करने के लिए उकसाता है जिससे की वह व्यक्ति अपने उद्देश्य को पा सके। ऐसे मामलो में जहाँ अभिप्राय होता है तो वहां न्यायालय को अभियोगी का अपराध सिद्ध करने का अभिन्न सहयोग प्रदान कर देता है”

रिशीपाल बनाम उत्तराखण्ड सरकार[42]- मृत शरीर के मिलने पर अदालत का विचार है कि, मकसद प्रमुख भूमिका नहीं निभाता हैं, अदालत ने अपने विचार रखते हुए बोला कि अभियुक्त के खिलाफ सिर्फ परिस्थितिक सबूत उचित संदेह से परे स्थापित किया जाना चाहिए, हालातों को नहीं। एक ऐसी जंजीर बनानी चाहिए जिससे अदालत के पास कोई और विकल्प होना बचे अभियुक्त को सजा देने के लिए, जिसके लिए उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। चश्मदीद गवाह और अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिमन्य साक्ष्य पर आधारित नहीं होता।

हर मुकद्मा जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, यहां तक कि इस मामले में भी, यह सवाल है कि अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य पर भरोसा किया जा सकता है और सारी परिस्थितियां एक श्रृंखला बना रही है जो सारी चीजों को एक साथ जोड़ती है ताकि आरोपी को बेगुनाह ही साबि होने की संभावना को नजरअंदाज किया जा सके[43]। इसमें कोई शक नहीं है कि सजा पूरी तरह से परिस्थितिजन्य आधार पर दी जा सकती है। लेकिन यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित कानून की कसौटी पर परीक्षण किया जाना चाहिए[44]।

“हाल की एक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने अभिप्राय की भूमिका किसी अभियोजित व्यक्ति को अपराध करने के उत्तरदायित्व विषय में की है। यह मानते हुए की दायित्व का निधारण अभिप्राय निर्धारण में आवश्यक परिस्थिति नही है, फिर भी अपराध के संधार्भ में अभिप्राय का परीक्षण आवश्यक था[45]”

पारिस्थितिक साक्ष्य के मामलो में आधारित लक्ष्य जिससे की अपराध को सिद्ध किया गया है पूरी तरह से सिद्ध होना चाहिए और परिस्थितियां अपराधी के अपराध को सिद्ध करने के लिए निश्चायक होनी चाहिए। परिस्थितियों की ऐसी श्रंखला में कोई गैप नहीं होगा। प्रस्तुत केस में साक्ष्य की परिस्थिति अभियोगी के अपराध को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है और इसलिए अभियोगी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए तथा अपीलकर्ता की अपील खारिज कर दी जाये।

---

[42] (2013) 12 एस.सी.सी. 551

[43] टोमासो ब्रुनो बनाम स्टेट ओफ़ यू.पी. (2015) 7 एस.सी.सी. 178

[44] शिऊ और अन्या बनाम रिजिस्ट्रार जनरल, हाइ कोर्ट अ०फ कर्नाटका और अन्या ;2007 (4) एस.सी.सी. 713 हुकम सिंह बनाम स्टेट ओफ राजस्थान (1977) 2 एस.सी.सी. 99 , इराडु बनाम स्टेट ओफ हैदराबाद ए.आई.आर. 1956 एस. सी. (316), एआरा भाद्र्प्पा बनाम स्टेट ओफ कर्नाटका (1983) 2 एस. सी. सी. 330, स्टेट ओफ यू.पी. बनाम सुखबसी (सुप्प.) एस.सी.सी. 79, बलविन्दर सिन्ह बनाम स्टेट ओफ पंजाब (1987) 1 एस. सी. सी. 16 एन्ड अशोक कुमार चौटर्जी बनाम स्टेट ओफ म.प्र. 1989 सुप्प. (1) एस.सी.सी. 560. भगत राम बनाम स्टेट अ०फ पंजाब ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 621

मुद्दा 3–क्या हीरा, ललिता और जयंत परआपराधिक षड्यंत्र तथा सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया जा सकता है

इस माननीय अदालत में विनम्रतापूर्वक यह दलील पेश की जाता है कि मौजूदा मामले को देखते हुए यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि जहाँ तक आपराधिक षड्यंत्र या सबूतों का मिटाने का सवाल है, अभियोजन पक्ष की सारी दलीलें यह नहीं साबित कर सकती की हत्या किसकी, कब, कैसे, और, किसने की है। यह पूरी संभावना हो सकती है की मोनिका जिंदा हो और किसी दूसरे देश मे रह रही हो जैसा की अभियुक्त ने बताया है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इस मामले में अभियोजन पक्ष कोई भी चश्मदीद–गवाह पेश नही कर सका है जो की आपराधिक षड्यंत्र या हत्या के विषय में कोई जानकारी दे सके। पोलिस की भी सारी तफतीश सिर्फ ललिता के घरूलू संबंध और जयदाद के इर्ध गिर्द ही घूम रही है।

उपमुद्दा1- *मौजूदा मामले में आपराधिक षड्यंत्र नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर विशेष उद्देश्य सिद्ध नहीं किया गया है*

किसी भी साजिश के मुख्य तत्व है कि उसके लिए विशेष उद्देश्य का होना जरूरी है[46] तथा कोई भी अनुबंध[47] जो किसी दूसरे व्यक्ति से अपराध कराने के लिए किया गया हो[48], तथा प्रत्यक्ष अपराध साजिश में शामिल व्यक्तियों में से किया गया हो। इस मामले में यह कहीं भी साबित नहीं किया कि यह अपराध दोनों अभियुक्तों में से किसी ने किया है। सिर्फ जला हुआ शव जो कि पहचान में भी नहीं आ रहा, उसके मिलने मात्र से यह साबित नहीं होता कि यह अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया है और अभी तक जयन्त अरोरा पर कोई भी स्थिति साफ नहीं हो सकी है कि वह आरोपी है या नहीं। यह संदेह केवल इस आधार पर है कि वह ललिता के पूर्व पति है। अतः सिर्फ संदेह के आधार पर अभियुक्त को घटना का अपराधी मानना सही नहीं है।

उसी तरह से कानून को संतुष्ट करने के लिए अभियोजन को यह साबित करना जरूरी है कि साजिश रचने वालों ने ही अपराध को अंजाम दिया है तथा साजिश की सजा के लिए यह जरूरी है कि साजिश रचने वालों में से किसी एक ने भी अनुबंध के 5 साल के अंदर कोई भी प्रत्यक्ष काम[49] किया हो जो अपराध से जुड़ा हो।

हालांकि हीरा की मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है एवं जयन्त अरोरा के विरूद्ध कोई भी वैध साक्ष्य नहीं है इसलिए इस मामले में वह भी शामिल हैं कि नहीं यह साबित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यदि ***केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)*** के हवाले से यह कहा जा सकता है की इस साजिश को ललिता ने रचा था तथा उसी ने इसकी शुरूआत की, तो ललिता यह नहीं कर सकती क्योंकि इस घटना को अंजाम देने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति इस अनुबंध में होने चाहिए। तो सिर्फ एक व्यक्ति को साजिश रचने का गुनाहगार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति खुद के साथ मिलकर साजिश कैसे रच सकता है[50]।

भारतीय साक्ष्य विधि 1872 के धारा 10 एजेंसी के सिद्धान्त के बारे में है जो बताता है कि लगाये गये आरोप अथवा अनुबंध में दिये गए शर्त यदि साबित कर दिए जाएं तब

[46] स्टेट थ्रु सुप्रिटेंडेंट ओफ़ पुलिस, सी.बी.आई./एस.आई.टी. बनाम नलिनी एन्ड अदर्स (1999) 5 एस.सी.सी. 253
[47] मुहम्मद इस्माइल (1936) नाग. 152
[48] प्रतापभाई सोलंकी बनाम स्टेट ओफ़ गुजरात एन्ड अनद. (2013) 1 एस.सी.सी. 613
[49] राम नारायन पोपली बनाम सी.बी.आई. (2003) 3 एस.सी.सी. 641
[50] तोपनदास बनाम स्टेट ओफ़ बोम्बे (1955) 2 एस.सी.आर. 881 , हरधन चक्रवर्ती बनाम यूनियन ओफ़ इंडिया (1990) 2 एस.सी.सी. 143

साजिश रचने वाले के साथी का ब्यान दूसरे के विरू0 साक्ष्य के तौर पर पेश किया जा सकता है। अतः इस धारा में एक महत्वपूर्ण बिंदू यह है कि न्यायालय को यह विश्वास दिलाने के लिए कि अपराध के साजिश में दो या इससे अधिक व्यक्ति शामिल थे, पर्याप्त सबूतों को प्रत्यक्षता उपलब्ध होना अनिवार्य है तथा इस मामले में उपर्युक्त धारा की यह शर्त पूरी नहीं हो पा रही है। पुलिस अभी केवल शक के आधार पर जांच कर रही है, किंतु अभी तक ऐसी कोई साक्ष्य नहीं पाई है जो कि यह साबित कर सके कि मोनिका ही हत्या हुई है और अभियुक्त इस अपराध में शामिल थे। अपराध करने की साजिश का आरोप महज संदेह, अनुमान या तथ्य के निष्कर्ष के आधार पर नहीं लगाए जा सकते यदि वो प्रभावशाली एवं स्वीकार्य साक्ष्य पर आधारित न हो[51]।

अतः अभियुक्तों या किसी तीसरे पक्ष के बीच अनुबंध या किसी भी एक तरह की अपराध वाली मानसिकता न होने के कारण यह माना जाएगा कि अभियुक्त किसी भी तरह के आपराधिक साजिश में शामिल नहीं थे। अभियोजन पक्ष के द्वारा थोड़ा इधर थोड़ा उधर से लाया गया तथ्य इस बात तक बिल्कुल नहीं पहुंचते कि यह अपराध करने की साजिश रचने वाले अपराध के लिए पर्याप्त है।

उपमुद्दा2- सबूतों को गायब करने का अपराध तब तक सीध नही हो सकता जब तक यह ना सिद्ध हो जाए कि हत्या अभियुक्त ने ही की है।

माननीय सर्वोच्य न्यायलय ने यह स्प किया है कि किसी व्यक्ति की हत्या हुई हो और उसका साव किसी पेटी में डालकर कुएँ में डाल दिया गया हो और अभियुक्त ने उस शव को छुपाने में मदद की हो किंतु व्यक्ति की हत्या के कारण का कोई साक्ष्य ना मिला हो या उस परिस्थिति का भी कोई ठोस ज्ञान और साक्ष्य ना हो जो इस हत्या के बारे में बताते हों ,ऐसे मामले में अभियुक्त को दोषी नही **ताराया** जा सकता दूसरे शब्दों में, बिना यह साबित किए की छिपाई गयी शव, हत्या के तथ्य और परिस्थितियों पर आधारित हैं, तो सिर्फ शव को छिपाना भारतीय दंड संहिता के धारा 201 के अनुसार कोई अपराध नही है [52]

धारा 201[53] के आरोपों को लगाने के लिए अभियोजन पक्ष को यह **अवसशह** साबित करना पड़ेगा –

1. कि अपराध घटित हुआ है
2. कि अभ्युक्त जनता था की वा कौन सा अपराध कर रहा है
3. कि उसे विश्वास था या पता था
4. की जो भी अपराध के साक्ष्य तेऊंहे मिटा दिया गया है
5. वो जो भी जानकारी अपराध के बारे में दे रहा है वा बिल्कुल गलत है
6. की वा आरोपी को कानूनी सजा से बचाने की नियत से उपर्युक्त जानकारी दी है

यह साबित करना अनिवार्या है कि अभियुक्त जिस अपराध के साक्ष्य को मिटाने के जुर्म में अपराध वास्तव में किया गया हो [54], तथा अभियुक्त को इस घटित अपराध के बारे में पता हो अथवा इतनी पर्याप्त जानकारी हो कि घटना घटित हुई है।

---

[51] (1988) 3 एस.सी.सी. 609

[52] पलविन्दर कौर (1953) एस.सी.आर. 94, भुपेंद्र सिंह बनाम स्टेट ओफ यू.पी. ए.आई.आर. 1991 एस. सी. 1083, स्टेट ओफ यू.पी. बनाम कपिल देव ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 2257, राम सरन मैथो बनाम स्टेट ओफ बिहार 1999 क्रि. एल.जे. 4311

[53] भारतीय दंड संहिता

[54] अब्दुर कादिर (1880) 3 इला. 279 (एफ. बी.)

माननीय न्यायालय ने विभिन्न मामलों के **नि.र्यानुसार** "अभियुक्त का मुख्य और वास्तविक उद्देयश् अपराधी को कानूनी सजा से बचना हो, केवल शक के आधार पर धारा 201 का आरोपी नहीं बनाया जा सकता [55] , इस बात को साबित करने के लिए ठोस सबूत होना चाहिए जो यह साबित कर सके की अभियुक्त ने अपराधी को कानून से बचाने के लिए साक्ष्यों को मिटा दिया है।

यदि मृत व्यक्ति के शरीर की हड्डियाँ अभियुक्त के घर से बरामद की जाती है तब भी वा केवल शव को छुपाने के आरोप में जाँच के आधार पर दंडित किया जाएगो, हत्या के आरोप में दंडित नही किया जा सकता। [56]

अत: माननीय न्यायालय से यह विनयपूर्वक कहा जाता है की जब तक यह साबित नही किया जाता कि पाया गया शव मोनिका का ही है तब तक अभियुक्त को हत्या, आपराधिक साजिश एवं साक्ष्य मिटाने के अपराद में गुनेहगार नही कहा जा सकता। यह पोलीस के ऊपर है कि वह यह साबित करे की पाया गया शव मोनिका का ही है और उसकी हत्या हो चुकी है।

[55] जनमदास (1963) 1 क्रि. एल.जे. 433

[56] सुखराम बनाम स्टट ओफ महाराष्ट्र (2007) 7 एस.सी.सी. 502य सोपान पुंजाराम मुले बनाम स्टेट ओफ महाराष्ट्र, 2002 क्रि. एल.जे. 376 (बोम्बे)

प्रार्थना

मौजूदा मामले के तथ्यों के प्रकाश में, जो मुद्दे उठाए गए, तर्क उन्नत किए गए एवं अधिकारियों का हवाला दिया गया, इस न्यायालय से अनुरोध है की

1. अभियुक्त द्वारा दिया गया बयान न्यायालय में मान्य ना किया जाए तथा अभियुक्त के खिलाफ प्रयोग में ना लाया जाए ।
2. अभियुक्त को हत्या के आरोप से बरी किया जाए क्योंकि यह साबित नही किया जा सकता की हत्या हीरा द्वारा की गई है।
3. साक्ष्यों के आभाव के रहते आपराधिक षडयंत्र और साक्ष्यों को गायब करने के अपराध से भी अभियुक्त को बरी किया जाए ।

तथा एवं कोई अन्या राहत प्रदान की जाए जो की नये , न्यायसम्य एवं अच्छे विवेक के हित में समझा जाए.